न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 68/2022
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. बलजीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह, पुत्री सोहन सिंह जाति कम्बोज सिख आयु 53 वर्ष निवासी 19 एफ ज्वालेवाला तह० करणपुर जिला श्री गंगानगर।
2. राजपाल सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 19 एफ ज्वालेवाला तह० करणपुर जिला श्री गंगानगर ।

..... वादीगण

ब ना म

1. गुरबचन सिंह पुत्र स्व0 मोहन सिंह जाति कम्बोज सिख आयु 58 वर्ष निवासी 19 एफ ज्वालेवाला तह० करणपुर जिला श्री गंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्री गंगानगर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री सुखदेव सिंह — वादीगण
अधिवक्ता श्री अरविन्द जाखड़ — प्रतिवादी 1
पैरोकार राज — प्रति.–2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 24.12.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण उपरोक्त पते के स्थायी निवासी है जिनका पेशा काश्तकारी है व जीवन निर्वाह का साधन केवल खेती आय है। वादीगण का रजि० पता जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है वह वही है जो शीर्षक वाद पत्र में अंकित है वाद दो प्रतियों में पेश है तथा वाद के समर्थन में वादीगण का शपथ पत्र शामिल है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम चक 18 एफ बडा पटवार हल्का मटीली राठान" बी' तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 27/65 मु0न0 5 के किला न0 22/2, 23/1 की कुल 0.253 है0 व मु० न० 6 के किला न0 13/2, 14, 15, 16/2, 17/2, 18/2 की कुल 1.012 है0 तथा मु० न० 7 के किला न0 2, 3, 8, 9, 12/2, 13/1 की 1.265 है0 कुल 2.530 है0 खातेदारी दर्ज है जमाबंदी की नकल शामिल है। उपरोक्त आराजी प्रतिवादी सं० 1 को पूर्वजों से मिली/उसकी आय से बनायी हुई होने से वादी सं0 2 का जन्म से हक हिस्सा बना तथा उपरोक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम संयुक्त हिन्दु परिवार की जददी व अविभाजित सम्पति के रूप में परिवार का कर्ता होने के नाते दर्ज चली आ रही है। कालांतर में उपरोक्त को लेकर वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के बीच मनमुटाव पैदा हो गया क्योकि प्रतिवादी सं0 1 बुरी आदतों का शिकार होने के कारण भूमि को मुंतकिल करना चाहता था जिसके कारण विवाद पैदा हुआ, जिस पर पंचायत हुई व पंचायत के सामने प्रतिवादी सं0 1 ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए मौखिक पारिवारिक समझौता द्वारा वादीगण को निम्नलिखित कृषि भूमि हकदार होने के कारण दे दी गई, जिस पर वादीगण का कब्जा निरंतर आज तक चला आ रहा है–

Scanned with OKEN Scanner

1. बलजीत कौर को मिली आराजी का विवरण–

चक 18 एफ बडा तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 27/65 मु0 न0 7 का किला न0 2 सालम ।

2. राजपाल सिंह को मिली आराजी का विवरण–

चक 18 एफ बडा तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 27/65, मु0 न0 5 का किला न0 22/2 का 0.126 है०, किला न0 23/1 का 0.127 है0 व मु० न० 6 का किला न० 13/2 का 0.126 है0, किला न० 14 सालम, 15 सालम, किला न० 16/2 का 0.126 है०, किला न० 17/2 का 0.127 है०, किला न० 18/2 का 0.127 है0 कुल 1.012 है0 कुल तादादी दोनों मुरब्बों का 1.265 है०।

वादीगण ने उपरोक्त भूमि मिलने पर इस भूमि में भारी मेहनत व काफी रुपया लगाकर सुधार किया तथा भूमि अत्याधिक कीमती बन चुकी है, अब प्रतिवादी जो कि गलत लोगों के प्रभाव में है, वादीगण को बेदखल करने व वादीगण के कब्जा काश्त की उपरोक्त भूमि को मुंतकिल करने के प्रयास में है, लोगों से बातचीत कर रहा है तथा शीघ्र ही मुंतकिल करने के प्रयास में है, यदि प्रतिवादी सं0 1 अपने इस गलत मकसद में सफल हो गया तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, अतः वादीगण के लिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 से बार बार आग्रह किया कि वह पारिवारिक समझौता की पालना करते हुए वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि का उनको खातेदार काश्तकार हकदार मानकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये तथा वादीगण को स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से जबरन बेदखल करने व अन्य किसी को मुंतकिल करने से बाज व ममनु रहे मगर प्रतिवादी सं० 1 टालमटोल करते हुए दिनांक 08.05.22 को साफ इंकारी है जो कि यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से दावा वादीगण काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है । प्रतिवादी सं0 2 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा वाद वादीगण पेश करके अर्ज है कि वाद वादीगण, बहक वादीगण, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे–

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावें कि वादीगण पारिवारिक समझौता के आधार पर चक 18 एफ बडा तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 27/65 की कुल 2.530 है0 में से निम्न प्रकार से खातेदार काश्तकार हकदार है तथा उनके नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने, मामला लगान कायम करने व प्रतिवादी सं0 1 का हटाये का आदेश फरमाया जावे –

1. बलजीत कौर को मिली आराजी का विवरण–

चक 18.एफ बडा तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 27/65 मु0 न0 7 का किला न0 2 सालम।

2. राजपाल सिंह को मिली आराजी का विवरण–

चक 18 एफ बडा तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 27/65, मु0 न0 5 का किला न0 22/2 का 0.126 है0, किला न0 23/1 का 0.127 है० व मु0 न0 6 का किला न0 13 2 का 0. 126 है0, किला न0 14 सालम, 15 सालम, किला न० 16/2 का 0.126 है०, किला न० 17/2 का 0.127 है०, किला न० 18/2 का 0.127 है0 कुल 1.012 है0 कुल तादादी दोनों मुरब्बों का 1.265 है०।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो प्रदान किया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 18 एफ बड़ा तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–27/65 का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात, जमाबन्दी साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक आपसी सहमति स्वीकार किया जाकर वादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

1. बलजीत कौर को मिली आराजी का विवरण–

चक 18.एफ बडा तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 27/65 मु0 न0 7 का किला न0 2 सालम।

2. राजपाल सिंह को मिली आराजी का विवरण–

चक 18 एफ बडा तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 27/65, मु0 न0 5 का किला न0 22/2 का 0.126 है0, किला न0 23/1 का 0.127 है० व मु0 न0 6 का किला न0 13 2 का 0.126 है0, किला न0 14 सालम, 15 सालम, किला न० 16/2 का 0.126 है०, किला न० 17/2 का 0.127 है०, किला न० 18/2 का 0.127 है0 कुल 1.012 है0 कुल तादादी दोनों मुरब्बों का 1.265 है०।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24.12.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन राम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner